



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-25022026-270473
CG-OR-E-25022026-270473

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 960]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947

No. 960]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 25 फरवरी, 2026

(रेलवे अधिनियम एक हजार नौ सौ नवासी की धारा बीस ए के तहत सूचना)

का.आ. 1004(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में "खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर सुरला रोड (SLRD)-इच्छापुरम (IPM) स्टेशनों के बीच KM 621/28-30 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 326 का निर्माण", इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) राजस्व मंडलीय अधिकारी (आरडीओ)/ पालसा को खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर सुरला रोड (SLRD)-इच्छापुरम (IPM) स्टेशनों के बीच KM 621/28-30 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 326 के निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और

ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20D की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में “खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हाँवडा-विशाखापटनम मुख्य लाइन पर सुरला रोड (SLRD)-इच्छापुरम (IPM) स्टेशनों के बीच KM 621/28-30 पर (आर.ओ.बी) रोड ओवर ब्रिज संख्या 326 का निर्माण” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम:- श्रीकाकुलम

अनुलग्नक-1

भूमि अनुसूची					
परियोजना का नाम:- ROB – 326 का निर्माण					
जिले का नाम:- श्रीकाकुलम, प्रभाग का नाम:- खुर्दा रोड, मंडल का नाम:- इच्छापुरम					
क्रम सं.	गाँव का नाम	प्लॉट/ सर्वे संख्या	कुल क्षेत्रफल एकड़) में	भूमि का प्रकार	भूमि का किस्म
1	केदारिपुरम	353	0.285	सरकारी	सड़क
2	केदारिपुरम	804	0.194	सरकारी	सड़क
3	केदारिपुरम	832	0.008	सरकारी	कालुवा
4	केदारिपुरम	833	1.129	सरकारी	सड़क
5	केदारिपुरम	844	0.027	सरकारी	रेलवे रोड
6	केदारिपुरम	848	0.001	सरकारी	ग्रामकण्ठम
7	पुरुषोत्तपुरम्	22	0.017	सरकारी	सड़क
8	पुरुषोत्तपुरम्	23	0.185	सरकारी	रेलवे रोड
9	पुरुषोत्तपुरम्	25	0.947	सरकारी	कोंडा पराम्बोक
		कुल	2.793		

[फा. सं. CAO/CON/BBS/RSP/2025/ROB-326/20A]

अजय कुमार सामल, मुख्य अभियंता (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway(Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 25th February, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act-,1989

S.O. 1004(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (hereinafter referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of **Special Railway Project**, namely, “Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of

manned LC NO-326 at KM 621/28-30 between Surla Rd.(SLRD)-Ichhapuram(IPM) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Road Division.” in Srikakulum district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely **Competent Authority for Land Acquisition (CALA) Revenue Divisional Officer (RDO), Palasa for Construction of ROB in lieu of closing of manned of LC NO-326 at KM 621/28-30 between Surla Rd. (SLRD)-Ichhapuram(IPM) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Road Division** in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project, namely “Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.NO.326 at KM-621/28-30 between Surla Rd.(SLRD)-Ichhapuram(IPM) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Road Division)” in Srikakulum district in the state of Andhra Pradesh.

Name of District:- Srikakulum

Annexure-I

LAND SCHEDULE					
Name of the Project:- Construction of ROB-326					
Name of the District:-Srikakulum, Name of the Division:-Khurda Road,					
Name of the Mandal:-Icchapuram					
Sl.No.	NAME OF VILLAGE	LPM NO	ACRES	Type of Land	CLASSIFICATION OF LAND
1	KEDARIPURAM	353	0.285	GOVT.	Road
2	KEDARIPURAM	804	0.194	GOVT.	Road
3	KEDARIPURAM	832	0.008	GOVT.	Kaluva
4	KEDARIPURAM	833	1.129	GOVT.	Road
5	KEDARIPURAM	844	0.027	GOVT.	Rialway Road
6	KEDARIPURAM	848	0.001	GOVT.	Gramakantam
7	PURSHOTHAPURAM	22	0.017	GOVT.	Road
8	PURSHOTHAPURAM	23	0.185	GOVT.	Railway Road
9	PURSHOTHAPURAM	25	0.947	GOVT.	Konda Poramboke

[F. No. CAO/CON/BBS/RSP/2025/ROB-326/20A]

AJAY KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-II)